No. 4576
H.P. Forest Department:

Dated Rampur the, 21-10-19

From:

Conservator of Forests,
Rampur Forest Circle, H.P.

To

The Director,
Information and Public Relations,
Himachal Pradesh, Shimla-171002

Subject:- Publication of advertisement notice regarding postponement of recruitment process of Forest Guards on contract basis.

Sir,

Enclosed please find herewith an advertisement regarding recruitment of Forest Guard on contract basis in H.P. Forest Department, Rampur Forest Circle, H.P. It is therefore requested that this advertisement may please be got published in classified columns of Giriraj weekly and two leading News papers as "Divya Himachal" and "Amar Ujjala" on or before 23-10-2019 positively.

Yours faithfully,

Sd/-
Conservator of Forests,
Rampur Forest Circle, H.P.

Encl: As above.

Endst. No. 4577-95 / Dated Rampur the, 21-10-19

Copy alongwith its enclosed is forwarded to :-

1. Pr.CCF, (HoFF) Shimla w.r.t. his memo. No. Ft. 440-13/80 (E-II) 2019 dated 16.10.2019 for information.
2. Pr.CCF (Wild Life) Shimla.
3. All CCFs/CFs in H.P.
4. All DFOs in Rampur Circle for display of vacancies on notice board.
5. D.F.O. Publicity Shimla for getting the advertisement published as envisaged above and for getting it relayed in the employment news through AIR Shimla.

Conservator of Forests,
Rampur Forest Circle, H.P. 21/10/19

वन विभाग हिमाचल प्रदेश
वन वृत रामपुर में वन रक्षकों की भर्ती बारे।
सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के रामपुर वन वृत में सरकार द्वारा वन रक्षकों के कुल 9 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना प्रस्तावित है। इन पदों को सरकार द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत अनुबन्ध के आधार **(Contract Basis)**व वेतनमान **Rs. (5910-20200 Rs+2000 G.P.)** पर भरा जाना है। अनुबन्ध आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए भर्ती की जाएगी तथा इस अनुबन्ध का आगामी वर्षों में वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

श्रेणी	अनारक्षित	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे	भूतपुर्व सैनिक	खिलाडी	गृह रक्षक	आई आर0 डी0 पी0	कुल योग
1. सामान्य	2	0	1	0	0	2	5
2. अनुसूचित जन–जाति	0	0	0	0	0	0	0
3. अनुसूचित जाति	2	0	0	0	0	0	2
4. अन्य पिछडी जाति	2	0	0	0	0	0	2
योग	6	0	1	0	0	2	9

नोटः–

1. भूतपूर्व सैनिक **(Ex-Servicemen)** की भर्ती बारे सम्बन्धित विभागों से अलग से पत्राचार किया जा रहा है।
2. उक्त पदों में अनूसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर इस बावत जारी किए गए आदेशों के अनुसार वृत स्तर पर आरक्षण दिया जाएगा।

पात्रता की शर्तेः–

1. अभ्यार्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
2. आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना अनिवार्य है व प्रार्थी का रोजगार पंजीकरण कार्ड आवेदन की तिथि पर वैद्य होना आवश्यक है।
3. आवेदक की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष से कम व 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

नोटः– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक उपकम/ स्वायन निकायों से सम्बन्धित अवेदकों को भी नियमानुसार छुट का प्रावधान है।

4. आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 10+2 या इसके समतुल्य परीक्षा उर्तीण की हो।
5. **न्यूनतम ‘शारीरिक मापदण्डः–**

	पुरुष	महिला
1. लम्बाई	165 सै0मी0	150 सै0मी0
2. छाती (क) बिना फुलाए	79 सै0मी0	74 सै0मी0
(ख) फुलाकर	84 सै0मी0	79 सै0मी0

नोटः– अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को लम्बाई में 5 सै0मी0 और छाती के माप में 4 सै0मी0 की छूट होगी।

वांछनीय अहर्ताएं

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दिशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

भर्ती प्रक्रियाः– भर्ती प्रकिया मे निम्नलिखित तीन परीक्षण होंगे जिनके अंक निम्न तालिका अनुसार हैः–

परीक्षण	**निर्धारित अंक**
शारीरिक दक्षता	(केवल विशेषक)
लिखित परीक्षा	85
मूल्यांकन मापदण्ड	15
योग	**100**

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) (केवल विशेषक) (Only qualifying) :- वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक माप दण्ड पूर्ण करते हो उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) (केवल विशेषक) (Only qualifying) हेतू माप दण्डः–

दौड़	**पुरुष**		**महिला**		(केवल विशेषक) (Only qualifying) दौड़ के लिए कोई अतितिक्त मौका नही दिया जाएगा।
	दूरी	अधिकतम समय	दूरी	अधिकतम समय	
	100मी0	14सैं	100मी0	17 सै0	
	800मी0	2मि0 45सै0	800मी0	4 मि0 15 सै0	
कूद/ छलांग	ऊंची कूद/ छलांग कम से कम	लम्बी कूद/ छलांग कम से कम	ऊंची कूद/ छलांग कम से कम	लम्बी कूद/ छलांग कम से कम	नोट– प्रत्येक अभ्यार्थी को ऊंची कूद व लम्बी छलांग में अधिकतम तीन मौके दिए जाएगें।
	1.25मी0	4मी0	1मी0	3मी0	

2. वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणों में उर्तीण होगें, केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा **(Written Test)** में बैठनें का अवसर प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात सूचित किया जाएगा।

3. लिखित परीक्षा के 85 अंक होंगे। इस परीक्षा में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा, दसवी स्तर का सामान्य विज्ञान व गणित, वन, पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों की सामान्य

जानकारी, सामान्य ज्ञान, तर्क – वितर्क एवं योग्यता (reasoning and aptitude) इत्यादि विषयों के 85 वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) प्रश्न होगें। लिखित परीक्षा का समय 75 मिनट का होगा। जिनके उत्तर हेतू 75 मिनट का समय दिया जाएगा। उतर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतू प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बाल पैन व लिखने के लिए गत्ता लाना अनिवार्य होगा।

4. लिखित परीक्षा के परिणाम पर आधारित योग्यता सूची अनुसार उम्मीदवारों को मूल्यांकन मापदण्ड हेतू बुलाया जाएगा, जिसके बारे उन्हें पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा। मूल्यांकन मापदंड के **15 अंक** निम्न तालिका अनुसार दिये जाएंगे।

1.	भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांको की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहतणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जो उसे 1.25 अंक 50 अनुज्ञात किए जाएंगे	2.5 अंक
2.	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	1 अंक
3.	भूमिहीन कटुम्ब/ एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बन्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	1 अंक
4.	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/ अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	1 अंक
5.	40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	1 अंक
6.	एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष)एन0सी0सी0 सी0 में प्रमाण–पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	1 अंक
7.	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/– से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब।	2 अंक
8.	विधवा/तलाक 'शुदा/ अंकिंचन/एकल महिला।	1 अंक
9.	इकलौती पुत्री/अनाथ।	1 अंक
10.	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	1 अंक
11.	सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	2.5 अंक

आवेदक के लिए निर्देशः–

1. आवेदन पत्र निचे दिये गए निर्धारित प्रपत्र पर जो कि अच्छे सफेद कागज पर टाईप या छपा हो या स्वच्छ लिखित हो एवं उमीदवार द्वारा स्वंय भरा हुआ होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र में प्रविष्टियां हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही स्वीकार्य होगा।
3. आवेदन पत्र पर दो मोबाईल नम्बर अवश्य लिखें।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।
   i) मैट्रिक एवं 10+2 या समकक्ष पास का प्रमाण पत्र।
   ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र।
   iii) रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का वैद्य प्रमाण पत्र।
   iv) स्वंय का पता लिखे व पांच रुपये की डाक टिकट लगे दो लिफाफे।
5. आवेदन पत्र भरकर अरण्यपाल वन वृत रामपुर, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किये जायें।
6. आवेदन पत्र की जाचं के उपरान्त उमीदवारों को स्थानीय अखबार के माध्यम से शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे सूचित किया जाऐगा। पात्र उमीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलावा पत्र **(Call letter)** सीधे ऑनलाईन **(www.hpforest.nic.in)** प्राप्त करवाया जाएगा। यदि उम्मीदवार को किसी कारणवश **(Call letter online)** प्राप्त नही होता है तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा के शुरु होने से पहले वन वृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।
7. अन्तिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।
8. आवेदक के हस्ताक्षर बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद किए जाएगे।
9. यदि कोई आवेदन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद कर दिया जाएगा।
10. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा की प्रकिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नही होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
11. आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मुल्यांकन मापदण्ड के समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ लायें।
    क. मैट्रिक एवं 10+2 या समकक्ष पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
    ख. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग व स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/ पौत्र/ पौत्री/ आई0आर0डी0पी0/अन्तयोदय का प्रमाण पत्र। जो कि शारीरिक मापदण्ड एव मुल्यांकन मापदण्ड के समय वैद्य होना आवश्यक है।
    ग. एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0/ खेल, अन्य पाठ्य सहायक कियाओं में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
    घ. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का वैद्य प्रमाण पत्र।
    ड. जब अभ्यार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू बुलाए जाएंगे उस समय वह चार प्रतियां पास पोर्ट साईज फोटोग्राफ साथ लाये।
12. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के उम्मीदवार जो कि 32 कि0मी0 से अधिक दूरी से मूल्यांकन (Parameters for evaluations) मापदण्ड के लिए आएंगे वह नियमानुसार आने जाने के वास्तविक न्यून्तम बस किराए की राशि के पात्र होगें। अन्य उम्मीदवारों को कोई भी यात्रा भता देय नही होगा।
13. यदि प्रार्थी किसी भी परिक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नही होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रदद् समझी जाएगी।

14. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये/ बिना शर्त, इस चयन प्रकिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।

15. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार नही होगा।

16. जिन अभ्यार्थियों का निवेदन फार्म डाक द्वारा या किसी अन्य कारणों से निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है तो वह मान्य नही होगा तथा इसके लिये वन विभाग उतरदायी नही होगा।

17. भर्ती हेतू इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अरण्यपाल वन वृत रामपुर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड 172001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक व्यक्तिगत तौर पर या डाक द्वारा दिनांक 24-10-2019 से 10.11.2019 तक जमा करवा सकते है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन वन विभाग वेबसाईट **(www.hpforest.nic.in)** पर 11.11.2019,प्रातः 10 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जनजातिय क्षेत्रों जैसे किन्नौर, पांगी, भरमौर, लाहौल व स्पिति और डोडरा क्वार क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए प्रार्थना पत्र केवल डाक द्वारा 15.11.2019 सॉय 5 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुचनें चाहिए।

18. प्रार्थी प्रार्थना पत्र के लिफाफे के ऊपर "वन रक्षकों की भर्ती हेतू" लिखें व निम्नलिखित पतें पर भेजें।

अरण्यपाल,
वन वृत रामपुर बुशैहर, हि०प्र०,
दूरभाष न0 01782-233068

19. भर्ती प्रकिया से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अभ्यार्थी किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में व्यक्तिगत रुप से अथवा दूरभाष न0 01782-233068 पर सम्पर्क कर सकते है।

अरण्यपाल,
वन वृत रामपुर बुशैहर, हि०प्र०,
दूरभाष न0 01782-233068

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं एवं हस्ताक्षर करें।

आवेदन पत्र

फार्म न0...........

वन विभाग हिमाचल प्रदेश
अनुबन्ध के आधार पर वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन
(आवेदक का विवरण)

वन वृत का नाम......................

1.	नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	स्थाई पता	
4.	(क) पत्राचार हेतू पता	
	(ख) संपर्क नम्बर कोई भी (दूरभाष/मोबाईल/ ई–मेल पता)	1. 2.
5.	पहचान चिन्ह	
6.	आवेदक किस श्रेणी से सम्बन्ध रखता/रखती है क) साधारण /अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग। ख) आई.आर.डी.पी./ स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे/पौत्र/पौत्री/प्रतिष्ठित खिलाड़ी इत्यादि। (सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	(क) .... (लागू श्रेणी का नाम) (ख) .... (लागू श्रेणी का नाम)
7.	जन्म तिथि (दसवी कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार आयु दिनांक 01.01.2019 को) (क) अंको में .... (ख) शब्दों में	तिथि माह वर्ष ....
8.	शैक्षणिक योग्यता 1. दसवीं 2. बारहवीं 3. बीए/बीएससी/बींकॉम 4. एमए/एमएससी/एम कॉम (प्रमाण पत्र की सतयापित प्रतियां संलग्न करें)	पास वर्ष, प्राप्त अंक प्रतिशत लिखे
9.	विवाहित अथवा अविवाहित	
10.	(क) रोजगार/ उप–रोजगार कार्यालय का नाम (ख) पंजीकरण संख्या **(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)**	....

मै सत्यापित करता/करती हूँ कि मै वन रक्षक के पद की शर्तो एवं योग्यता को पूरा करता/करती हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त दी गई सभी सूचना सही और विश्वसनीय है और यह है कि मैंने हिमाचल प्रदेश के सभी अन्य वन वृत में वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन नही किया है।

मै समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाते है तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी अयोग्य घोषितय की जा सकती है अथवा किसी भी स्तर पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

उम्मीदवारी के हस्ताक्षर

दिनांक........................../2019

नोटः– प्रमाण पत्र का स्वयं सत्यापन मान्य होगा।